



# पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक 3865 / अका. / सम्बद्धता / 2015

रायपुर, दिनांक : 19 / 06 / 2015

## ॥ संशोधित आदेश ॥


विश्वविद्यालय आदेश क्र. 3822 / अका. / सम्बद्धता / 2015 रायपुर, दिनांक 17.06.2015 में आंशिक संशोधन करते हुए विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 09.06.2015 की अनुशंसानुसार एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.06.2015 के निर्णयानुसार सी.आई.टी. कालेज, पार्रीनाला, जी.ई. रोड, राजनांदगांव को दर्शित कक्षा / विषय एवं सत्र के लिए अस्थाई सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है :-

क्र.	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
1.	बी.बी.ए.-I	20	2015-16
2.	बी.एस-सी.-I	40	
3.	बी.काम.-I	40	

### शर्त :-

1. छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
2. शिक्षकों / कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
3. प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाए।
4. बी.बी.ए., बी.एस-सी. एवं बी.काम द्वितीय वर्ष की सम्बद्धता हेतु 28 फरवरी, 2016 तक शुल्क जमा कर आवेदन विश्वविद्यालय में अनिवार्य रूप से दें।
5. आदेश निर्गमन की तिथि से तीन माह के भीतर इण्डोमेंट फण्ड हेतु रू. 15,00,000/- (पंद्रह लाख रूपए) कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं संस्था प्रमुख के संयुक्त नाम पर सावधि खाते में जमा कर, एफ.डी.आर. की छायाप्रति विश्वविद्यालय में जमा करेंगे।
6. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है।
7. समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
8. जॉच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति शीघ्र पूर्ण करेंगे।
9. परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।
10. छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ 17-19 / 2015 / 38-2 दिनांक 31.01.2015 में उल्लेखित शर्तों की पूर्ति कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।

आदेशानुसार,


  
उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक 3866 / अका. / सम्बद्धता / 2015

रायपुर, दिनांक : 19 / 06 / 2015

### प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
  2. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
  3. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को।
  4. संचालक, शारीरिक शिक्षा,
  5. स.कु.स. परीक्षा / परीक्षा सेमेस्टर / नामांकन / उ.कु.स. गोपनीय / वित्त नियंत्रक / विकास,
  6. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
वरिष्ठ अधीक्षक (अका.)

भाग "ब"

भाग 'अ' में दी गई जानकारी के सत्यापन के बाद निरीक्षण समिति द्वारा भरा जाए।

प्रस्तावित पाठ्यक्रम के संचालन के लिए निरीक्षण समिति का बिंदुवार प्रतिवेदन।

दैन में अनुशंसा न की जाए अपितु पात्रता/अपात्रता का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। कमियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए,

सम्बद्धता के लिए शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।]

With reference to the university letter No.3581/Acad./  
5 dt. 20th May - 2015, the committee conducted the  
inspection of CIT college Rajnandgaon on 26th May  
5 and observed the following:-

that the said college has sufficient infrastructure  
facilities to run B.B. & (20 seats), B.Sc (40 seats), B.Com (40  
seats). Library and Laboratory (Books and Equipments)  
in the facilities are partially fulfilled.  
no appointment of Principal and Teachers U/S - 28 has to be  
made

समिति के संयोजन का नाम एवं हस्ताक्षर

Secretary of the Society has given a declaration to fulfill all  
shortcomings just after getting the affiliation.

समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर - नाम - पता

Thyagaraj  
(Dr. M. W. Khan)

विशेषज्ञ/विशेषज्ञों के हस्ताक्षर एवं नाम-पता

Dr. A. R. ...  
Dr. A. R. ...

दिनांक 26.5.2015

Dr. M. I. Meena

कुलसचिव,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,

रायपुर (छ.ग.)